माननीय, *एम.एम. पुंछी जे.* के समक्ष

एच. एस. बैंस,–*याचिकाकर्ता।*

बनाम

यूटी चंडीगढ़ और अन्य, - *प्रतिवादी।*

***आपराधिक मिसेस। 1980 का नंबर 2 जी-एम* ।**

18 अप्रैल, 1980।

दंड प्रक्रिया *संहिता (1974 का 2) - धारा 169, 173 (2) और* 190 - *धारा* 173 (*2*) के तहत पुलिस *रिपोर्ट जो मामले को रद्द करने की सिफारिश करती है - मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से अलग है - क्या अपराध का संज्ञान ले सकता है और अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकता है।*

*और रूप*कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना को लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए और इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उसका सार किसी पुस्तक में दर्ज किया जाना चाहिए जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखा जाए जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में विहित करे। सूचना दर्ज करने से *स्वत तब तक जांच शुरू* नहीं हो जाती जब तक कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास ऐसे अपराध के होने का संदेह करने का कारण न हो जिसकी जांच करने के लिए उसे धारा 156 के तहत अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद भवन का निर्माण शुरू होता है जिसकी परिणति पुलिस रिपोर्ट में होती है, चाहे वह धारा 169 की प्रकृति की हो या धारा 170 की। किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई जानकारी जांच से अप्रभावित रहती है और पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सूचना होने पर काम की गई जानकारी का उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 190 (1) (सी) के तहत उसमें प्रकट किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए किया जा सकता है और उस उद्देश्य के लिए लागू प्रक्रिया शिकायत मामले की होनी चाहिए क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के बजाय अन्यथा स्थापित किया गया मामला होगा। पुलिस के पास दर्ज जानकारी को जांच के मलबे से बचाया जा सकता है जैसे कि शिकायत को संहिता की धारा 156 (3) के तहत की गई जांच से बचाया जा सकता है। लेकिन उप-खंड (सी) के तहत संज्ञान के अलावा, मजिस्ट्रेट सीधे पुलिस रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पर जा सकता है यदि वह ऐसा करना चाहता है। इस प्रकार, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, चाहे वह सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हो या धारा 156 (3) के तहत अग्रेषित शिकायत पर, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से अलग होकर सीधे आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकता है। (पैरा 18)।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन *पूर्वोक्त धारा 379 और भारत के संविधान के* अनुच्छेद *227* के साथ पठित *यह प्रार्थना करते हुए कि विद्वान मजिस्ट्रेट के दिनांक 23 नवंबर,* 1979 *के आदेश और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और इस बीच विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।*

एच.एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता और करमपाल सिंह संधू और पी.एस.

एच. एस. बराड़ । अधिवक्ता, *प्रतिवादी नं.* 1.

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए *कुलदीप सिंह और एमएस ढिल्लों, अधिवक्ता,*

निर्णय

माननीय, *एम.एम. पुंछी जे*

कानून का प्रश्न जो इन दो याचिकाओं में विचारार्थ आता है-सीआरएल। मिसेस। 1980 की संख्या 26-एम *(एच।* 1977 का *यूनियन टेरिफाई* ऑफ चंडीगढ़ और अन्य) और सीआरएल संशोधन संख्या 755 ऑफ 1977 (रतन चंद और *अन्य बनाम भारत संघ बनाम भारत* संघ और अन्य बनाम *चंडीगढ़ और अन्य) पंजाब राज्य)*मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत, किसी भी तरह से सरल नहीं है। इसमें संहिता के प्रावधानों से यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि मजिस्ट्रेट को क्या करने का अधिकार है, यदि वह संहिता की धारा 173 (2) के तहत तैयार की गई पुलिस रिपोर्ट से अलग है और पुलिस द्वारा उसके समक्ष रखे गए अपराध की जांच के बाद उसके समक्ष रखी गई है।

दो. हाथ में पहला मामला Crl. Mise है। 1980 का नंबर 26-एम। याचिकाकर्ता एचएस बैंस, निदेशक, लघु बचत-सह-उप सचिव, वित्त। पंजाब। चंडीगढ़, श्री बीसी राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़

द्वारा पारित दिनांक 23 नवंबर, 1979 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करता है, जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता की धारा 448/451/506 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेते हैं। मोटे तथ्य यह थे कि गुरनाम सिंह शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने 13 अगस्त, 1979 को याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड संहिता के तहत उपरोक्त अपराधों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी-याचिकाकर्ता 11 अगस्त, 1979 की सुबह अपनी कार में चंडीगढ़ में शिकायतकर्ता के आवासीय घर में आया था। आपराधिक अतिचार को प्रभावित किया और उसे और उसके प्राकृतिक बेटे को मारने की धमकी दी, जिसे शिकायतकर्ता की बहन ने गोद ले लिया था। इस महिला को आरोपी-याचिकाकर्ता के मृतक भाई की विधवा बताया गया था और गोद लेने की बात उसकी अरुचि थी। मजिस्ट्रेट ने शिकायत को जांच और मामला दर्ज करने के लिए धारा 156 (3) के तहत स्थानीय पुलिस को भेज दिया था। पुलिस ने जांच की, जिसके दौरान, यह एक के बाद एक दो पुलिस अधिकारियों द्वारा संभाला गया। पुलिस जांच से पता चला कि आरोपी के पास श्री जय सिंह, 1 एएस जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त, अमृतसर के बयान में एक बहाना था, जिन्होंने दावा किया था कि आरोपी-याचिकाकर्ता उस समय अमृतसर में उनके साथ था जब कथित अपराध हुआ था। इस प्रकार, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के खिलाफ मामला झूठा था और संहिता की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, मामले को छोड़ने की सिफारिश की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट से अलग राय व्यक्त की और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "मैं रिकॉर्ड के आधार पर यह देखने के लिए विवश हूं कि इस मामले में पुलिस आरोपी की स्थिति और जिला मजिस्ट्रेट के बयान से बहुत प्रभावित हुई है और इस अनावश्यक स्टैंड को लिया है। पुलिस के लिए उचित तरीका न्यायिक फैसला लेना था जब अपराध का कमीशन रिकॉर्ड से स्पष्ट था और यह अभियुक्त के लिए था कि वह *बहाना* की दलील ले और अदालत में इसे साबित करे। कानून के समक्ष सभी समान हैं। अदालतें न केवल तब न्याय करती हैं जब दो पक्ष समान होते हैं, बल्कि तब भी जब दो पक्ष अपनी स्थिति में असमान होते हैं। इसलिए, मैं जांच की लाइन नहीं अपनाता हूं। यह संज्ञान लेने के लिए एक उपयुक्त मामला है और मैं धारा 190 (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेता हूं ताकि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 448/451/506 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सके। 17 दिसंबर, 1979 को उनकी उपस्थिति के लिए समन जारी किया जाए।

तीन. दूसरा मामला 1976 का सीआरएल संशोधन संख्या 755 है, जो लुधियाना के पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 2 में सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी, पीएस दीवान द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ था। मोटे तौर पर कहा गया है, उक्त श्री पीएस देव ने उसमें आरोप लगाया कि अपने कर्तव्यों के सामान्य अभ्यास में, वह मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स, लुधियाना के व्यावसायिक परिसर में आया था, और जब उसने उक्त फर्म की खाता पुस्तकों को जब्त कर लिया था, रतन चंद और विजय कुमार याचिकाकर्ताओं ने पांच या दस अन्य व्यक्तियों के साथ उसे पकड़ लिया और जबरन जब्त किए गए दस्तावेजों को छीन लिया, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने मामले की जांच की और श्री शरणागत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना के समक्ष संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें यह इंगित करते हुए कि विजय कुमार और अशोक कुमार याचिकाकर्ता अपराध में भागीदार थे और रतन चंद याचिकाकर्ता के पास दिल्ली में एक स्थापित बहाना था, और इस प्रकार पुलिस ने उसके खिलाफ चालान नहीं भेजा था। अशोक कुमार और विजय कुमार के साथ याचिकाकर्ता। रतन चंद याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत शिकायत के अलावा, कि उसे क्यों बुलाया गया था, तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में जोर दिया कि कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं जा सकती क्योंकि सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी की प्रविष्टि अवैध थी और उसकी शक्तियों से अधिक थी, और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 352 या 353 के तहत मामला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पागल था। परषोत्तम दास लज्जा राम *और अन्य* बनाम भारत संघ और अन्य मामले *में न्यायालय/राज्य* (1)। हालांकि, अकेले बार में तर्क रतन चंद के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों तक ही सीमित थे, और इस प्रकार बहस दोनों मामलों में आम रही।

चार. दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एचएल सिब्बल ने तर्क दिया कि दोनों मामलों में संबंधित मजिस्ट्रेटों को प्रभावित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीधे प्रक्रिया जारी करने का अधिकार क्षेत्र था, जो पुलिस द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भिन्न थे और पुलिस द्वारा उनकी पुलिस रिपोर्टों में रिपोर्ट किए गए थे। यह उनका दृढ़ रुख था कि मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 190 (1) के उप-खंडों में से किसी में भी अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते थे, जो निम्नलिखित शब्दों में है: -

> "190. *मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।*
>
> (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट और द्वितीय श्रेणी का

कोई मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (2) के अधीन इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त है। किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है: -

"(ए) तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं;

(आ) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(इ) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।

पाँच.न केवल विधायी, बल्कि न्यायिक क्षेत्र में भी अनुभाग के कुछ इतिहास को नोट करना आवश्यक होगा। संहिता से पहले, जो 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी हुई, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (इसके बाद पुरानी संहिता के रूप में संदर्भित), लागू थी और उक्त संहिता की धारा 190 (1) निम्नानुसार पढ़ी जाती है: -

"190. *मजिस्ट्रेटों द्वारा* अपराध का *संज्ञान।*

(एक) इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संळ्ाना ले सकेगा: -

(अ) तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं;

(आ) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर;

(इ) पुलिस-अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर, या उसकी अपनी जानकारी या संदेह पर, कि ऐसा अपराध किया गया है"।

दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खंड (ए) में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि खंड (बी) और (सी) में बदलाव आए हैं। खंड (ग) में "संदेह" शब्द का लोप कर दिया गया है और वह खंड अब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति (पुलिस अधिकारी के अलावा) से प्राप्त जानकारी पर या मजिस्ट्रेट के स्वयं के ज्ञान पर अपराध का संज्ञान लेने तक सीमित है कि ऐसा अपराध किया गया है, और, खंड (ख) में "लिखित रूप में रिपोर्ट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पुलिस रिपोर्ट" को प्रतिस्थापित किया गया है और "किसी पुलिस अधिकारी द्वारा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है छोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा खंड (बी) और (सी) में महत्वपूर्ण बदलावों का मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई पुलिस रिपोर्ट केवल पुलिस द्वारा सुझाए गए कारणों के लिए उसके द्वारा स्वीकार की जा सकती है और मजिस्ट्रेट, जबकि रिपोर्ट के साथ, अभियुक्त को सीधे प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता है। बार में उद्धृत निर्णयों के आलोक में इसकी बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

छः. अभिनंदन *झा* बनाम *दिनेश मिश्रा,* (2) ने सुप्रीम कोर्ट के अपने लॉर्डशिप ने 1898 की पुरानी संहिता की धारा 173 सहित विभिन्न धाराओं के आयात पर विचार किया। पुरानी संहिता की धारा 169 के तहत पुलिस रिपोर्ट से निपटने के दौरान अभियुक्त को बरी करने की सिफारिश करने वाली "अंतिम रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित किया गया। वैद्यलिंगम। न्यायालय की ओर से बोलते हुए जे ने इस प्रकार कहा: -

"अभी। धारा 173 के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा वास्तव में क्या किया जाना चाहिए, इस प्रश्न पर विचार करना होगा। वह रिपोर्ट धारा 170 के अंतर्गत आने वाले मामले या धारा 169 के अंतर्गत आने वाले मामले के संबंध में हो सकती है। हम पहले ही धारा 190 का उल्लेख कर चुके हैं। जो "कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें" शीर्षक वाले वर्गों के समूह में पहला खंड है। इस धारा की उपधारा (1) धारा 173 के तहत भेजी गई रिपोर्ट को कवर करेगी। धारा 190 की उपधारा (1) में "किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है" शब्दों का प्रयोग। हमारी राय में, न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाता है और धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्राप्त करने वाले मजिस्ट्रेट को उक्त रिपोर्ट पर विचार करना होगा और न्यायिक रूप से निर्णय लेना होगा कि अपराध का संज्ञान लिया जाए या नहीं।

सात. फिर संहिता की धारा 169 से निपटने के दौरान, विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा:

".....दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के प्रावधान ... विशेष रूप से यह प्रावधान करें कि जांच के बाद भी, एक पुलिस अधिकारी, या अन्य जांच अधिकारी की राय है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई मामला नहीं है, वह आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए उससे बांड लेने के लिए रिहा करते समय, यदि और जब आवश्यक हो, तो बाध्य है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट की एक आकस्मिकता को पूरा करने के लिए है, जब वह जांच अधिकारी

की रिपोर्ट पर विचार करता है, और न्यायिक रूप से पुलिस से अलग दृष्टिकोण लेता है।

आठ. पुनः संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कि किसी अभियुक्त को विचारण के लिए भेजने का कोई मामला नहीं बनता है, विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की: -

> "..... यहां तक कि उन मामलों में, यदि मजिस्ट्रेट उक्त रिपोर्ट से सहमत होता है, तो वह अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही को बंद कर सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने पर यह विचार कर सकता है कि पुलिस द्वारा बनाई गई राय पूर्ण और पूर्ण जांच पर आधारित नहीं है, जिस मामले में, हमारी राय में, मजिस्ट्रेट के पास आगे की जांच करने के लिए धारा 156 (3) के तहत पुलिस को निर्देश देने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र होगा। अर्थात्, यदि मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद महसूस करता है कि जांच असंतोषजनक है, या अधूरी है, या आगे की जांच की गुंजाइश है, तो यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला होगा कि वह अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दे और पुलिस को धारा 156 (3) के तहत आगे की जांच करने का निर्देश दे। ऐसी आगे की जांच के बाद पुलिस उनके द्वारा की गई आगे की जांच के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत कर सकती है या फिर से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। यदि अंततः, मजिस्ट्रेट यह राय बनाता है कि अंतिम रिपोर्ट में निर्धारित तथ्य, अपराध का गठन करते हैं, तो वह धारा 190 (1) (बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है, भले ही पुलिस की विपरीत राय हो, जो अंतिम रिपोर्ट में व्यक्त की गई थी।

नौ. उपर्युक्त पैराग्राफ में, उद्धरण को उस निर्णय के पैराग्राफ 15 से उधार लिया गया है, लेकिन धारा 190 (एल) (बी) के बजाय, इसे धारा 190 (एल) (सी) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि रामचंद्र और अन्य बनाम भारत संघ मामले में प्रिंटर द्वारा इंगित किया गया है । *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,* (3)।

दस. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, नारायण *रामचंद्र करमबेलकर* बनाम भारत *संघ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय लिया था।राज्य* (4) ने माना कि आदेश की प्रकृति वही रहेगी चाहे मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लेता है या पुलिस द्वारा ली गई रिपोर्ट से अलग दृष्टिकोण लेता है, और यह एक न्यायिक आदेश होगा जो पुलिस को दी गई जानकारी का निपटान करेगा। कुछ हद तक, एस *पी जायसवाल* बनाम भारत *संघ मामले में इस न्यायालय का दृष्टिकोण था।राज्य,* (5)।

ग्यारह. आगे बढ़ने से पहले, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट में क्या निहित किया जाना आवश्यक था, जिसे मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाना है। पुरानी संहिता की धारा 173 (1) (ए) के तहत रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक थी, जिसमें पक्षों के नाम, सूचना की प्रकृति और उन व्यक्तियों के नाम बताए गए थे जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते थे, और यह बताते हुए कि क्या आरोपी (यदि गिरफ्तार किया गया है) हिरासत में भेज दिया गया है या उसके बांड पर रिहा कर दिया गया है, और यदि हां, तो क्या ज़मानत के साथ या बिना। अब नए कोड में। धारा 173 (2) में न केवल पुरानी संहिता की धारा 173 (एल) (ए) में प्रदान किए गए समान शब्दों और विवरणों में एक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, बल्कि शीर्षक "(डी)" के तहत एक अतिरिक्त विशेष होती है:

> (घ) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और यदि हां, तो किसके द्वारा;

अतिरिक्त विशेष के अलावा, नई संहिता की धारा 173 की उपधारा (4) और (5), सार्थक रूप से प्रदान करते हैं: -

> "(4) जब कभी इस धारा के अधीन अग्रेषित रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके मुचलके पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बंधपत्र के निर्वहन के लिए ऐसा आदेश देगा या अन्यथा जैसा वह ठीक समझे।
>
> (5) जब ऐसी रिपोर्ट किसी ऐसे मामले के संबंध में हो जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा: -
>
> (अ) सभी दस्तावेज या प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से भेजे गए लोगों के अलावा अन्य पर भरोसा करने का प्रस्ताव करता है;
>
> (आ) धारा 161 के तहत उन सभी व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया है जिनसे अभियोजन पक्ष गवाह

के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है।

बारह. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट। जिसे "पुलिस रिपोर्ट" कहा जाता है, को एक फॉर्म में होना आवश्यक है, जिसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा भरा जाना है, उसमें आवश्यक विवरण प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन यदि यह किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर धारा 170 लागू होती है, तो पर्याप्त साक्ष्य या कारण के अस्तित्व पर, मजिस्ट्रेट को मामले को अग्रेषित करने का औचित्य साबित करने के लिए संदेह का सक्षम आधार, रिपोर्ट में उपधारा (5) में उल्लिखित दस्तावेजों को साथ ले जाना चाहिए। इस प्रकार, एक "पुलिस रिपोर्ट", जिसे अब धारा 2 (आर) के तहत संहिता में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है कि धारा 173 की उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को एक पुलिस अधिकारी द्वारा अग्रेषित रिपोर्ट, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा गया एक दस्तावेज है जिसे उसने न्यायिक रूप से निपटाया है जो संहिता की धारा 190 (1) के खंड (बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है। उक्त पुलिस रिपोर्ट यह खुलासा कर सकती है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, और यदि किया गया है, तो उन व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया है जिन्हें जांच के दौरान नामित या संदिग्ध किया गया था, ताकि संहिता की धारा 173 (2) के खंड (डी) की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जाहिर है, 'चार्ज रिपोर्ट' या 'अंतिम रिपोर्ट' या 'सारांश' में अंतर, एक व्यापक रिपोर्ट द्वारा नए कोड में गायब हो गया है, जिसे एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा जांच के बाद तैयार किया जाना आवश्यक है, जिसमें धारा 169 या संहिता की धारा 170 के परिणामों का खुलासा होता है। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी पुलिस रिपोर्ट रखी जाती है, तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए (और मामले या अभियुक्त को नहीं) वह तथ्यों पर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेगा, जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं।

तेरह. *अभिनंदन झा* के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो मामले थे, जिन्हें संबंधित मजिस्ट्रेटों के सामने इस राय के साथ रखा गया था कि मामले झूठे थे या किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया था। संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई विरोध याचिकाओं को मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 190 (1) (ए) के तहत अपराधों का स्वतंत्र रूप से संज्ञान लेने के लिए शिकायतों के रूप में नहीं लिया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की राय के विपरीत आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसी संदर्भ में न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट के पास कानून में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, और वह पुलिस को आरोप पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकता था जब पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि अभियुक्त को मुकदमे के लिए भेजने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। यह बताया गया कि मजिस्ट्रेट और पुलिस के कार्य पूरी तरह से अलग थे, और हालांकि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर सकता था, और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई कर सकता था, वह पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं कर सकता था, उन्हें अपनी राय बदलने के लिए मजबूर करके, ताकि उसके विचार के अनुरूप हो। न्यायालय ने कहा-

> "इन परिस्थितियों में, यदि उसे अभी भी संदेह है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह पुलिस की राय के बावजूद, संहिता की धारा 190 (एलसी) के तहत संज्ञान लेने का हकदार है। हमारी राय में यह उपबंध स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत है कि अपराधों को दण्डित किए बिना न रहे और न्याय का सहारा वहां भी लिया जा सके जहां व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति अनिच्छुक हों या मुकदमा चलाने में असमर्थ हों, या पुलिस या तो निर्दयतापूर्वक या वास्तविक त्रुटि के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही हो, अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को स्थापित करते हुए, इसलिए, मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए एक बहुत व्यापक शक्ति प्रदान की जाती है। न केवल जब वह किसी तीसरे व्यक्ति से अपराध के कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि यह भी कि उसे ज्ञान या संदेह भी है कि अपराध किया गया है। मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (सी) के तहत अपराध का संज्ञान इस आधार पर ले सकता है कि अंतिम रिपोर्ट और उसके सामने रखे गए पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि अपराध किया गया है.....

चौदह. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संहिता की धारा 190 (I) (c) से "संदेह" शब्द को हटाने से, पूर्वगामी पैराग्राफ में उद्धृत अभिनंदन झा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून, अब धारा 190 (1) (c) की सहायता लेने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यह भी तर्क दिया गया था कि पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी एक पुलिस अधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त जानकारी होगी और स्पष्ट रूप से अपराध का मामला नहीं होगा जिसे उसकी जानकारी पर संज्ञान लिया जाए, ताकि वह संहिता की धारा 190 (1) (सी) के दायरे में आ सके। विद्वान वकील के इस तर्क को फिलहाल स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि दो अन्य उदाहरणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

पंद्रह. नसीब सिंह बनाम मामन और अन्य, (6) (इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय

दिया गया, जिसका मैं सदस्य था) बेंच के पास उस पर विचार करने का अवसर था, जिस पर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच की गई थी और मजिस्ट्रेट में एक मामले को प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट ने मामले को रद्द करने की सिफारिश की थी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों को बुलाया, उनकी जांच की और उसके बाद आरोपी को प्रक्रिया जारी की। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने समक्ष पुनरीक्षण पर उस आदेश को भंग कर दिया और शिकायतकर्ता को नियमित शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया, यदि अनुमेय हो। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के विचार को हमारे समक्ष चुनौती दी गई थी और उस मामले से निपटने में, हमने नई संहिता द्वारा लाए गए परिवर्तनों, विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट के प्रासंगिक अंशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनंदन *झा के मामले* (सुप्रा) में निर्धारित कानून की सहायता की - इस फैसले के पहले भाग में इंगित प्रिंटर की त्रुटि से बेखबर, हमने इस प्रकार आयोजित किया: -

> "यहां तक कि नई संहिता के तहत, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून अपवाद के रूप में अअपवाद है, सिवाय इसके कि अब मजिस्ट्रेट के लिए संदेह के आधार पर नई संहिता की धारा 190 (एल) (सी) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए खुला नहीं है। यह संज्ञान केवल मजिस्ट्रेट की जानकारी में ही लिया जा सकता है। यह ज्ञान मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से या उसके बिना प्राप्त कर सकता है ताकि नई संहिता की धारा 190 (एल) (सी) के तहत संज्ञान की नींव लाई जा सके। उसी उद्देश्य को नई संहिता की धारा 173 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत भी प्राप्त किया जा सकता है जब उस रिपोर्ट के लिए धारा 173 (2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें यह निर्दिष्ट करना होता है कि क्या अन्य विवरणों का उल्लेख करने के अलावा कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है। पुलिस रिपोर्ट यह मान सकती है कि कोई अपराध किया गया है या नहीं किया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष इसे रखने पर उससे उस पर अपना न्यायिक दिमाग लगाने का अनुरोध करते हुए, मजिस्ट्रेट को मामले का संज्ञान लिया गया है।

....

वर्तमान मामले में, जब मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया था, तो मामले को रद्द करने के लिए और दिमाग के आवेदन पर उसने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया और शिकायतकर्ता और अन्य लोगों की जांच करने का विकल्प चुना, तो उसे अपना दिमाग लगाया और मामले का संज्ञान लिया। यह पूरी तरह से सारहीन होगा कि समय या चरण का सटीक बिंदु निर्धारित किया जाए कि संज्ञान कब शुरू हुआ। पुलिस द्वारा उसे सौंपी गई रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी, यदि शिकायत के तरीके से आगे बढ़ाई जाती है, तो प्रारंभिक साक्ष्य की जांच की आवश्यकता होती है और यह वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी-प्रतिवादियों को तलब करके किया गया है।

सोलह. तुलाराम और अन्य बनाम किशोर *सिंह*, (7) में, सुप्रीम कोर्ट को एक मामले में जब्त किया गया था जिसमें एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, जिसने पुलिस को संहिता की धारा 156 (3) के तहत इसकी जांच करने का आदेश दिया था। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि कोई मामला नहीं बनता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता से पूछताछ की। उसके बाद। यह रुख अपनाया गया कि शिकायत को पुलिस रिपोर्ट में मिला दिया गया और इस प्रकार इसे पुनर्जीवित किए जाने में असमर्थ था, जबकि धारा 156(3) के चरण में मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही इस पर विचार किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने माना कि चरण पूर्व-संज्ञान में से एक था। और जिस चरण में शिकायत का संज्ञान लिया गया था, वह उस समय था जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई थी। अदालत ने *अभिनन्दन झा के मामले* (सुप्रा) से अनुमोदन के रूप में टिप्पणियों को भी उद्धृत किया कि मजिस्ट्रेट पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था और उस स्थिति में यह उसके लिए खुला था कि वह अपराध का संज्ञान ले और कानून के अनुसार आगे बढ़े। निपटाए गए चार कानूनी प्रस्तावों में से, चौथा तात्कालिक मामले के लिए प्रासंगिक है: -

> जहां मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(2) के तहत संज्ञान लेने से पहले पुलिस द्वारा जांच का आदेश देता है और उस पर एक रिपोर्ट प्राप्त करता है, तो वह रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकता है और आरोपी को बरी कर सकता है, या सीधे आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकता

है या उसके समक्ष दायर शिकायत और धारा 190 के तहत नकली कार्रवाई पर अपना दिमाग लगा सकता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

सत्रह. उपरोक्त दो न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील का तर्क यह था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने और उसे रद्द करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट के बावजूद, नसीब सिंह के मामले (सुप्रा) में मजिस्ट्रेट ने आरोपी को प्रक्रिया जारी करने से पहले शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच करके शिकायत की प्रक्रिया का पालन करके संज्ञान लिया। उसी तनाव में, तुलाराम के मामले (सुप्रा) में मजिस्ट्रेट ने फिर से एक शिकायत मामले पर लागू प्रक्रिया का पालन किया जब पुलिस रिपोर्ट उनके सामने रखी गई थी, हालांकि एक शिकायत पर धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेशों के तहत पंजीकृत किया गया था। संक्षेप में, यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल दो मामलों में मजिस्ट्रेट सीधे जारी प्रक्रिया नहीं कर सकते थे, लेकिन 1980 के सीआरएल विविध संख्या 26-एम में एक शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तुलाराम के मामले के मद्देनजर धारा 156 (3) के तहत एक शिकायत के बाद दर्ज की गई थी (सुप्रा), और फिर से 1977 के आपराधिक संशोधन संख्या 755 में शिकायत प्रक्रिया को अपनाने के बाद, तब भी जब मामला सीधे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, नसीब सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए कानून के मद्देनजर। यह कहा गया कि चूंकि दोनों मामलों में शिकायत की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और प्रक्रियाओं को सीधे जारी किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही रद्द करने योग्य थी।

अठ्ठारह.नसीब सिंह के मामले (सुप्रा) में *इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसके मद्देनजर*, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुला राम के मामले (*सुप्रा) से उपलब्ध अतिरिक्त तर्क के साथ विद्वान वकील का तर्क विफल होना चाहिए*, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह निर्णय केवल उन शिकायतों पर लागू होता है जो अंततः धारा 156 (3) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत हो रही हैं, न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप *में।* ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए संज्ञेय अपराध के कमीशन से संबंधित जानकारी को लिखित रूप में कम किया जाना चाहिए और इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उसके सार को एक पुस्तक में दर्ज किया जाना चाहिए जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखा जाए जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है। सूचना दर्ज करने से *स्वतः तब तक जांच* शुरू नहीं हो जाती जब तक कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास अपराध होने का संदेह करने का कारण न हो, जिसकी जांच करने के लिए उसे धारा 156 के तहत अधिकार है (संहिता की धारा 157)। इसके बाद इमारत बनाने के स्टॉल पुलिस रिपोर्ट में परिणत होते हैं, चाहे वह धारा 169 की प्रकृति का हो या धारा 170 का। तुला *राम का मामला* (सुप्रा) पुलिस की जांच से शिकायत को छोड़ दिया गया था और उसमें शामिल अपराध को मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 (एल) (ए) के तहत संज्ञान में लिया गया था। इसी तर्क के आधार पर, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई जानकारी जांच से अप्रभावित रहती है, और जिस सूचना पर पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त होती है, उसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 190 (1) (सी) के तहत प्रकट किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए किया जा सकता है और उस उद्देश्य के लिए लागू प्रक्रिया एक शिकायत का मामला क्योंकि यह पुलिस रिपोर्ट के बजाय अन्यथा स्थापित मामला होगा। यही हमने *नसीब सिंह के मामले (सुप्रा) में करने की अनुमति दी* क्योंकि दर्ज की गई जानकारी को जांच के मलबे से बचाया गया था, जैसे शिकायत तुला राम के मामले (सुप्रा) में की गई थी । लेकिन उप-खंड (सी) के तहत संज्ञान के अलावा, *नसीब सिंह* के मामले (सुप्रा) में स्पष्ट रूप से माना गया था कि मजिस्ट्रेट सीधे पुलिस रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया पर सीधे हो सकता था यदि वह ऐसा करने के लिए चुनता है, और यही सुप्रीम कोर्ट द्वारा *कानूनी व्याख्या संख्या 4 में तुला राम के मामले* (सुप्रा) में आयोजित किया गया है। उस मामले में भी, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरुद्ध सीधे प्रक्रिया जारी की जा सकती है। *नसीब सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण* तुलाराम के मामले (*सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है*, और यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, चाहे वह सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हो या धारा 156 (3) के तहत अग्रेषित शिकायत पर, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से अलग होकर सीधे आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर सकता है। कानून की उपरोक्त समझ पर, दोनों मामलों में आदेश और कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी हैं और वर्तमान में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उन्नीस. इन याचिकाओं में कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया था।

बीस. परिणामस्वरूप, ये याचिकाएं विफल हो जाती हैं और एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती हैं।

एन.के.एस.

एक) ए.आई.आर. 1965 पीबी 264.

दो) एआईआर 1968 एससी 117।

तीन)एआईआर 1971 इलाहाबाद 155 (156)।

चार) 1972 सीआर एलजे 1446।

पाँच)ए.आई.आर. 1953 पीबी 149.

छः)1979 की सीआरआर 396 का निर्णय 1 नवंबर, 1979 को किया गया।

सात) एआईआर 1977 एससी 2401।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy